न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 102/2016/(2008/00004) जिला–अजमेर

1. मु0 सीता देवी बेवा पप्पू लाल मीणा
2. सत्यनारायण पुत्र पप्पू लाल मीणा नाबालिग
3. मदनलाल पुत्र पप्पू लाल मीणा नाबालिग
4. पूनम चन्द पुत्र पप्पू लाल मीणा नाबालिग
   जरिये माता सीता देवी सभी निवासी ग्राम परासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. मु0 लादी देवी उर्फ लाली बेवा अर्जुन लाल मीणा
2. रामकिशन पुत्र अर्जुन लाल मीणा
3. कांता पुत्री अर्जुन लाल मीणा पत्नी प्रहलाद मीणा
4. गुड्डी देवी पुत्री अर्जुन लाल मीणा पत्नी बजरंग लाल मीणा
5. दुर्गादेवी पुत्री अर्जुन लाल मीणा पत्नी लक्ष्मीनारायण मीणा
6. मधु देवी पुत्री अर्जुन लाल मीणा पत्नी राजूलाल मीणा नाबालिग
   सभी निवासी ग्राम परासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अपर कलक्टर, अजमेर दिनांक 11–08–2008
अन्तर्गत अपील संख्या 06/2008 बउनवान मु0 सीता देवी व
अन्य बनाम मु0 लादी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलर्थीगण
2. श्री विकास पाराशर, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 6

निर्णय

दिनांकः– 01–06–2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मदनगंज किशनगढ स्थित खसरा नम्बर 454 रकबा 63 बिस्वा भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री अर्जुन लाल मीणा थे। जिनकी मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामांतकरण संख्या

815 दिनांक 29–12–2001 को तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा उनके वारिसान के नाम पारित किया गयाथा। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण के विरूद्ध एक अपील अपर जिला कलक्टर के समक्ष धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जिसमें उल्लेख किय गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल पारित किया है क्योंकि पक्षकारान मीणा जाति के व्यक्ति होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। प्रश्नगत नामान्तरकरण विधिविरूद्ध तरीक से मृतक खातेदार की पुत्रियों प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि मीणा जाति में पुत्रियों को उत्तराधिकार में हिस्सा नहीं मिलता है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रत्यर्थीगण ने उपस्थित होकर दिनांक 21–4–2008 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण बाबत उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के समक्ष राजस्व वाद सीतादेवी बनाम लादी देवी मुकदमा नम्बर 131/2006 विचाराधीन होने के कारण समान पक्षकार व समान आराजी होने से उक्त अपील को वाद के निर्णय तक स्थगित किया जावे। अपर कलक्टर ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–8–2008 को प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी को अवैधानिक तौर पर स्वीकार कर अपीलाथीगण की अपील निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। अपर जिला कलक्टर अजमेर के निर्णय दिनांक 11–8–2008 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार अर्जुनलाल मीणा था जिसकी विरासत का नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पारित नहीं किया जा सकता था। मृतक की विरासत के लिए उसकी पुत्रियों के नाम अंकन कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जिसे यथावत रखते हुए अपर कलक्टर अजमेर ने विधिक त्रुटि कारित की है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिय कि उनके समक्ष विचाराधीन नामान्तरकरण कार्यवाही की अपील में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के तहत पेश किया गया जिसे अवैधानिक तौर पर स्वीकार कर अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी जिसमें धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष दावा तथा अपर कलक्टर के समक्ष नामान्तरकरण कार्यवाही मे रिलीफ देने के लिए दोनों न्यायालय समान क्षैत्राधिकारिता वाले नहीं है इसलिए प्रश्नगत प्रकरण में धारा 10 सीपीस के

प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में नामान्तरकरण कार्यवाही को दावे के निर्णय तक स्थगित नहीं किया जा सकता । न्यायालय को उक्त नामान्तरकरण को दावे के निर्णय तक बरकरार नहीं रखा जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को अनदेखा कर अपील निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 454 रकबा 63 बीघा था इसके पूर्व खातेदार अर्जुनलाल मीणा के फोत होने के पश्चात फौतगी का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में खुलना चाहिए था परन्तु तहसीलदार किशनगढ द्वारा उक्त नामान्तरकरण में मृतक खातेदार की पुत्रियां कान्ता देवी, गुड्डी देवी, दुर्गा देवी और मधु देवी पुत्रियां अर्जुनलाल मीणा के नाम का इन्द्राज भी गलत रूप से कर दिया। चूंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जन जाति पर लागू नहीं होते है जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(2) के तहत प्रतिबंधित किया गया है एवं मीणा जाति अनुसूचित जन जति की श्रेणी में होने से उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं पुत्रियों का इसमें किसी भी प्रकार से नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रत्यर्थीगण के नाम गलत रूप से नाम इन्द्राज होने के कारण उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है जिनका राजस्व रेकार्ड से हिस्सा इन्द्राज तक निरस्त फरमा कर अपीलार्थीगण के हिस्से को कायम रखा जाने हेतु निवेदन किया गया।

उनका यह भी कथन है कि भारतीय संविधान मे अनुसूचित जन जाति के बारे में धारा 366 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि विरासत सम्पत्ति मे पुत्रियों का किसी भी प्रकार से हक अधिकार निहित नहीं है यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के तहत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। उक्त अधिनियम स्त्री वर्ग में लागू नहीं होता है इसमें मृतक खातेदार के पुत्र/पौत्र ही सम्मिलित किये गये है इस प्रकार उक्त प्रकरण में मृतक खातेदार की पुत्रियों का विरासत नामान्तरकरण नहीं खोल कर पुत्रों का अधिकार अभिलेख में विरासतन नामान्तरकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलकटर अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–8–2008 एवं तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 815 दिनांक 29–12–2001 को निरस्त किया जाकर मूल खातेदार अर्जुनलाल मीणा के विधिक वारिसान पुत्रियों को छोड़कर पुनः नामान्तरकरण का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के यहां वाद संख्या 131/2006 पेश किया गया था वह उन्हीं मुख्य बिन्दु को लेकर पेश किया गया है चूंकि दोनों पक्षकारान जाति से मीणा है जो कि अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आते है और उस पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा–1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में कोई भी अन्तर्विष्ट बात किसी ऐसी जन जाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति हो, लागू नहीं होगी। दोनों पक्षकारान ने अभी तक अपनी जाति परिवर्तन नहीं की है। दोनों पक्षकारान जाति से मीणा है एवं मीणा जाति पर विरासत में पुत्रियों का कोई हक प्राप्त नहीं होता है जिसे प्रत्यर्थीगण ने वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 के तहत प्रस्तुत कर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद नहीं चलाने की प्रार्थना करते हुए दिनांक 14–2–2011 को उक्त न्यायालय से विड्रो करवा लिया गया। ऐसी स्थिति में जहां पर दोनों पक्षकारान की जाति मीणा है और इसी बिन्दु पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना था जो अभी विचाराधीन है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रासिडिंग है जिसमें किसी पक्षकार के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–8–2008 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के यहां वाद संख्या 131/2006 पेश किया गया था। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। उक्त संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति हो, लागू नहीं होगी। दोनों पक्षकारान ने अभी तक अपनी जाति परिवर्तन नहीं की है। दोनों पक्षकारान जाति से मीणा है एवं मीणा जाति पर विरासत में पुत्रियों का कोई हक प्राप्त नहीं होता है जिसे प्रत्यर्थीगण ने राजस्व वाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 के तहत प्रस्तुत कर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद नहीं चलाने की प्रार्थना करते हुए दिनांक 14–2–2011 को उक्त न्यायालय से विड्रो करवा लिया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नामांतकरण संख्या 815 दिनांक 29–12–2001 को तस्दीक किया जा चुका था तथा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उक्त वाद दिनांक 21–9–2006 को मु0 सीता देवी वगै0 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसे दिनांक 14–2–2011 को सीता देवी के निवेदन पर खारिज किया गया। उक्त स्थिति में नामांतकरण संख्या 815 दिनांक 29–12–2001 से संबंधित कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायोचित था। नामांतरकरण जो कि एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे किसी के हक–हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा

सकता है ऐसी स्थिति में अपर कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनाक 11–8–2008 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीस्थ न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–08–2008 राजस्व अपील संख्या 06/2008 बउनवान मु0 सीता देवी व अन्य बनाम मु0 लादी उर्फ लाली व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर